

(37)

न्याया. माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. ~~1/निगरानी दतिया/भू.स. 2017/~~

मिगरानी शिवपुरी भू.स. 2017/4445

श्री बुधवा गड़रिया

द्वारा आज दि 13-11-17 को प्रस्तुत

ब्लक ऑफ कोर्ट 13-11-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चं.दि. 22-11-17

बुधवा गड़रिया पुत्र स्व. श्री तिजुआ गड़रिया,  
आयु- 80 वर्ष, निवासी- ग्राम नुनवाहा तहसील व  
जिला दतिया म.प्र. ....आवेदक

बनाम

जियाबाई पत्नी रामस्वरूप जाति गड़रिया  
निवासी- न्यू कॉलोनी लाहर गिर्द, शिवपुरी बजार,  
झांसी उ.प्र. ....अनावेदक

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.12.1998 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. के प्र.क्र. 3/98-99/ए-5 से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय,

आवेदन की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य -

1. यहकि, आवेदक बुधवा गड़रिया के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम नुनवाहा तहसील करैरा में स्थित होकर सर्वे नं. 803 व 804 जो कि बंदोवस्त पूर्व के सर्वे नं. 241 से नवीन नंबर निर्मित हुआ है। जिस पर काबिज कास्त होकर आवेदक पूर्वजों के समय से कृषि करता आ रहा है।
2. यहकि, अनावेदिका द्वारा गुलाब सिंह के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 806 क्रय की गई थी जो कि बंदोबस्त के पूर्व सर्वे नं. 242 से निर्मित हुआ था जिसको क्रय पश्चात् अनावेदक द्वारा उक्त भूमि सर्वे नं. 806 का बंदोबस्त सुधार का आवेदन नायब तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया गया।
3. यहकि, नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण दर्ज कर एक पक्षीय रूप से आवेदक को हितबद्ध पक्षकार होने के उपरांत सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे नं. 804 में से 0.05 विस्वा भाग व सर्वे नं. 803 रकवा 0.07 का सम्पूर्ण रकवा व भाग अनावेदक की बंदोबस्त सुधार की पूर्ति कर मिला दिया गया। जिसके कारण आवेदक का सम्पूर्ण सर्वे नं. 803 जिसमें आवेदक के पूर्वजों के समय से सिंचाई कुआं चला आ रहा है को विलुप्त कर अन

प्रतिनिधि  
13/11/17

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 4445

बुधुआ गड़रिया विरुद्ध जियाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार दिनारा, तहसील करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 03/1998-99/ए-5 में पारित आदेश दिनांक 04-12-1998 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जै0के0 जैन) सदस्य</p>	